राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (36)ग्राविवि–5/सां./District Information/2018–19 **दिनांक 6 सितम्बर, 2018**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के क्रियान्वयन के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 27.07.2018 की मिनट्स के क्रम में निर्देश।

महोदय,

"वर्ष 2022 तक सभी को आवास" लक्ष्य के प्रथम चरण में पधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक देश में एक करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य को प्रथम चरण में 6.87 लाख आवासों के लक्ष्य आवंटित किये गये है, उक्त आवासों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा 31.10.2018 की तिथि नियत की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2018 को आयोजित बैठक में योजना की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की अवधि योजना के क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार स्वीकृति/किश्त हस्तानान्तरण दिनांक से 1 वर्ष निश्चित की गई है, के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समीक्षा करने पर अब तक एक आवास को पूर्ण होने में औसतन 114 दिवस का समय अध्ययन द्वारा पाया गया है। इस संबंध में निर्देश है कि अपने जिले में आवास पूर्ण होने में इस अवधि से अधिक लग रहे समय की समीक्षा कर, कारणों का निस्तारण किया जावें।
2. वर्ष 2018–19 के लक्ष्यों के विरूद्ध आदिनांक तक 32,712 (जिलेवार विवरण संलग्न) आवासों की प्रथम किश्त हस्तानान्तरित नहीं होना खेदजनक है एवं योजनान्तर्गत राज्य की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल भी है। उक्त के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ दिनांक 28.08.2018 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा कर जिला जोधपुर, अलवर व दौसा के लक्ष्य कम कर बांसवाडा, डूंगरपुर एवं उदयपुर को हस्तांतरित किये गये है, इसके बावजूद भी आदिनांक 05.09.2018 तक समस्त प्रथम किश्त जारी नहीं किया जाना खेदजनक है।

   अतः पुनः निर्देश है कि दिनांक 07.09.2018 तक समस्त स्वीकृतियां जारी कर दी जावें, अन्यथा कंम प्रगति वाले जिलों के लक्ष्य अच्छी प्रगति वाले जिलों को हस्तांतरित कर दिये जावेंगें, जिस हेतु जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।
3. विभागीय पत्र दिनांक 03.08.2018 द्वारा प्रतिदिवस आवास पूर्ण के लक्ष्य दिये गये है, जिसके आधार पर भी समीक्षा की जावें जिससे माह अक्टूबर, 2018 तक समस्त 6.87 लाख आवास पूर्ण हो सकें।
4. योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार आवास निर्माण हेत भूखण्ड आवंटन का दायित्व राज्य सरकार का है, उक्त के क्रम में अपने जिले में योजनान्तर्गत भूखण्डहीन पात्र परिवारों की समीक्षा कर पात्र भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार प्राथमिकता पर भूखण्ड उपलब्ध कराया जावें।
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत SECC-2011 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में शामिल नहीं पात्र परिवारों को जोडे जाने के क्रम में जिलो द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन कर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परिवारों की पहचान कर राज्य सरकार को पात्रता रखने वाले परिवारों की सूची उपलब्ध करायी गई थी, जिसे विभाग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा चुका है। परन्तु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लाभार्थियों का विवरण मय जियो टैगिंग आदि का कार्य सम्पादित किये जाने बाबत् अंतिम दिनांक 15.09.2018 निर्धारित है। निर्धारित दिनांक तक उक्त कार्यवाही को आवास प्लस एप पर सम्पादित करावें, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली अंतिम वरीयता सूची में इन पर विचार किया जा सके।

इस संबंध में निर्देश है कि बांसवाड़ा (जिसने यह कार्य पूर्ण कर लिया है) को छोड़कर अन्य शेष जिले इस कार्यवाही को निश्चित दिनांक से पूर्व ही पूर्ण कर लेंगें। अन्यथा की स्थिति में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केवल इन्द्राज लाभार्थियों को ही योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण हेतु स्वीकार किये जाने पर छूटे हुये व्यक्तियों के क्रम में जिला प्रशासन उत्तरदायी होगा। उल्लेखनीय है कि ऐसा होने पर पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित हो जावेगा, जो कि एक गम्भीर लापरवाही की श्रेणी में है।

6. योजनान्तर्गत SAGY, RURBAN, DAY-NRLM, Aspiratinal District, Mission Antyodaya व ODF ग्राम पंचायतों इत्यादि को प्राथमिकता से सेचुरेट किये जाने का प्रावधान/अपेक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। इसकी भी समीक्षा कर उपलब्ध लक्ष्यों के मध्यनजर जिले की अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को सेचुरेट किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत 90 अकुशल मानव दिवसों का लाभ भी लाभार्थियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
7. योजनान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण का प्रावधान है, अतः आपके जिले को आवंटित मैसन प्रशिक्षण के लक्ष्यानुसार इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के मार्गदर्शन में RSETIs के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

   उल्लेखनीय है कि परफार्मेंस रैंकिंग में मैसन प्रशिक्षण गतिविधि का भार 15 प्रतिशत किया गया है, जिससे जिलों की मैसन प्रशिक्षण में कम प्रगति रहने पर राज्य व जिले दानों की रैंकिंग प्रभावित होगी।
8. 12 माह में आवास पूर्ण नहीं होने पर उन आवासों को आवाससॉफ्ट पर परिचालन हेतु ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसको जिला स्तर से निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त अनब्लॉक किया जाता है, उस अवधि के दौरान ही आवास को पूर्ण करावें। अन्यथा इन आवासों के पुनः ब्लॉक होने पर अनब्लॉक कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय के स्तर से ही कार्यवाही हो पायेगी।
9. योजनान्तर्गत पारदर्शिता को सुनिश्चितता हेतु लाभार्थियों के नाम व योजना का सम्पादन कर रहे अधिकारियों/कार्मिकों के मोबाइल नम्बरों का भी वाल पेन्टिंग के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों प्रदर्शन किया जावें।
10. योजना के क्रियान्वयन/परिचालन में आवाससॉफ्ट एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जिस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हेल्पडेस्क द्वारा दर्ज प्रकरणों में जनरेटेड टोकन का निस्तारण अधिकतम 48 घंटों में किया जा रहा है। अतः इस संबंध में भी आवाससॉफ्ट से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण के दौरान उक्त हेल्पडेस्क के मोबाईल नम्बर 1800–11–6446 व ईमेल support-pmayg@gov.in आदि के बारे में जानकारी कार्मिको को दी जावें।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लक्ष्यानुसार समस्त आवासों को 31 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. अतिरिक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

PMAY-G 2018-19

A.2 High Level Physical Progress Report As On: 05/09/2018

.				Installment	
SNo	District Name	Target	Sanctions	1st	Balance 1st
	Total	213204	199896	180492	32712
1	AJMER	4692	4652	4545	147
2	ALWAR	2261	1861	1731	530
3	BANSWARA	13665	12868	11496	2169
4	BARAN	5606	5562	5343	263
5	BARMER	26487	26398	24243	2244
6	BHARATPUR	1788	1720	1584	204
7	BHILWARA	5689	5210	4648	1041
8	BIKANER	7932	7865	6827	1105
9	BUNDI	5231	4956	4343	888
10	CHITTORGARH	2752	2697	2573	179
11	CHURU	8560	5183	4510	4050
12	DAUSA	328	234	179	149
13	DHOLPUR	421	361	301	120
14	DUNGARPUR	21984	21159	19681	2303
15	HANUMANGARH	4540	4540	4342	198
16	JAIPUR	3806	2876	2698	1108
17	JAISALMER	6138	5162	4689	1449
18	JALORE	7554	7554	6334	1220
19	JHALAWAR	6586	6265	5490	1096
20	JHUNJHUNU	88	70	67	21
21	JODHPUR	7153	7023	6496	657
22	KARAULI	2482	1599	1209	1273
23	KOTA	2835	2728	2577	258
24	NAGAUR	4683	4644	4485	198
25	PALI	1813	1747	1212	601
26	PRATAPGARH	10200	9423	8509	1691
27	RAJSAMAND	3005	2995	2823	182
28	SAWAI MADHOPUR	3314	3126	2847	467
29	SIKAR	891	824	682	209
30	SIROHI	2935	2935	2856	79
31	SRI GANGANAGAR	8007	7978	6976	1031
32	TONK	8650	7908	6814	1836
33	UDAIPUR	21128	19773	17382	3746
	Total	213204	199896	180492	32712